हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-4-21 पत्रावली पेश। वकील [illegible] अभी पत्रावली रिपोर्ट हेतु दिनांक 3.5.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर 3/5 पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित रिपोर्ट प्राप्त पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 3/6 को प्रस्तुत हो। (रीडर) 3/6 पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 7/7 को प्रस्तुत हो। 7/7/21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस प्रारंभ हुई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 14.7.21 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर 14.7.21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)

बइजलास राजकेश मीना आर.ए.एस

प्रा.पत्र संख्या :– 38/2018

1. श्री हेमन्त गुंर्जर पुत्र भंवरसिंह जाति गुर्जर निवासी धुड़ी बाई की हवेली के पिछे, चौतीना कुआ बीकानेर

बनाम

:–

तहसीलदार खींवसर, जिला नागौर

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान

वकील प्रार्थी :– श्री मूलसिह राठौड़

वकील अप्रार्थी :– राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अधिन धारा 136 एल.आर.एक्टवास्ते रेकर्ड (राजस्व नक्शा) दुरूस्ती

आदेश

दिनांक 14.07.2021

प्रार्थी ने जरिये वकील अप्रार्थी के विरूद्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भेड़ तहसील खींवसर के ख.न. 175 रकबा 02.17.15 बीघा ख.न. 1176/174 रकबा 04.00 बीघा, ख.न. 1214/1176 रकबा 05.00 बीघा, ख.न. 1571/175 रकबा 03.01.05 बीघा प्रार्थी के खातेदारी बंट कब्जा काश्त की स्थित है। जिसकी नकल खतौनी साथ पेश है।

प्रार्थी के पिता भवरसिंह का देहांत दिनांक 4.5.2013 को आकस्मिक दुर्घटना में अचानक हो जाने से प्रार्थी के पिता के नाम से स्थित भूमियों का वादी के दादा श्री रामकुमार के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के दादा श्री रामकुमार के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के पिता के सभी वारिशान का हक त्याग नामा उप पंजीयक प्रथम बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी के पिता की अकस्मात् मृत्यु हो जाने से प्रार्थी के दादा की मानसिक विचलितता के कारण जब तर्कनामा तैयार करवाया गया था। उस समय भूलवशं प्रार्थी का नाम हेमन्त गुर्जर के स्थान पर हेमन्तसिंह लिखवा दिया था। एवं उक्त तर्कनामे के आधार पर प्रार्थी के पिता के बाद प्रार्थी का नाम हेमन्त गुर्जर के स्थान पर हेमन्तसिंह दर्ज हो गया । उक्त गलत तर्कनामे की जानकारी होने पर प्रार्थी के पिता के सभी वारिशान द्वारा उपपंजीयक प्रथम बीकानेर के समक्ष संशोधित विल्लेख पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह अंकित किया गया कि तर्कनामा दिनांक 26.06.2013 में अंकित हेमन्तसिंह के स्थान पर हेमन्त गुर्जर पढा एवं समझा जावें मगर इससे पूर्व राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी का नाम हेमन्त गुर्जर के स्थान पर हेमन्तसिंह दर्ज हो चुका था।

प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम हेमन्त गुर्जर मगर राजस्व रेकर्ड में भूलवशं हेमन्तसिंह दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अपनी भूमि श्रण लेने की आवश्कता होने पर सम्बधित बैंक द्वारा प्रार्थी को श्रण देने से मना कर देते है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

1. कि वादी का वाद स्वीकार किय जाकर ग्राम भेड़ के ख.न. 175 रकबा 02.17.15 बीघा ख.न. 1176/174 रकबा 04.00 बीघा, ख.न. 1214/1176 रकबा 05.00 बीघा, ख.न. 1571/175 रकबा 03.01.05 बीघा का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करते हुए राजस्व रेकर्ड में हेमन्तसिंह के स्थान पर हेमन्त गुर्जर दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।
2. कि माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार खींवसर को तहरीर भिजवावें।
3. कि अन्य कोई अनुतोश वादी के हक में हो तो वादी को घोषित फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया गया ।

तहसीलदार से जाचं रिपोर्ट प्राप्त कि गई। तहसीलदार खींवसर ने अपनी जाचं रिपोर्ट पत्रांक/कमांक/भू.अ./2021/27 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा निवेदन किया की चाही गई रिपोर्ट वक्त प्रस्तुत दस्तावेजों की रेकर्ड से जाचं की । प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में नाम हेमन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति गुर्जर दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों (निजी पहचान के) में हेमन्त गुर्जर पुत्र भंवरसिंह गुर्जर है। वस्तुतः हेमन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह गुर्जर एवं हेमन्त गुर्जर पुत्र भंवरसिंह गुर्जर एक ही व्यक्ति है। अतः शुद्वि किया जाना उचित है।

उपस्थित उभयपक्षकारान कि बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड यथा नकल खतौनी चालू वर्ष संवत् 2068 से 2071, फोटोप्रति मुख्त्यारनामा, हकत्याग की छायाप्रति, सशोंधन विलेख की छायाप्रति, आधार कार्ड, अकं तालिका एवं शपथ पत्र और तहसीलदार खींवसर की जाचं रिपोर्ट के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि प्रार्थी के मौजा भेड़ के खेताए में खातेदार का नाम हेमन्त गुर्जर के स्थान पर त्रुटिवशं हेमन्तसिंह अंकित हो गया। जबकि उक्त इन्द्राज हेमन्त गुर्जर दर्ज होना चाहिए था।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भेड़ के ख.न. 175 रकबा 02.17.15 बीघा ख.न. 1176!174 रकबा 04.00 बीघा, ख.न. 1214/1176 रकबा 05.00 बीघा, ख.न. 1571/175 रकबा 03.01.05 बीघा का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करते हुए राजस्व रेकर्ड में हेमन्तसिंह के स्थान पर हेमन्त गुर्जर दर्ज कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार खींवसर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर पालना से अवगत करावे।

नोटः– उपरोक्त विवादग्रस्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो एवं उपरोक्त खसरान किसी भी बैंक में रहन नहीं हो तो उक्त आदेश की पालना की जावें।

पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 14.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर